न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,हिण्डौन जिला करौली

मुकदमा नं0 270/2022 तारीख रजू:— 01.09.2022

जीसीएमएस नं0 2022/565

पीठासीन अधिकारी :— हेमराज गुर्जर

R.A.S.

1. रविशंकर पुत्र श्रीलाल जाति मीना निवासी कटकड, तहसील हिण्डौन जिला करौली (राज०)
2. विनोद पुत्र श्रीलाल — जाति मीना निवासी कटकड
3. कल्पना — पिसरान श्रीलाल
4. ममता — तहसील हिण्डौन जिला करौली
5. विनीता
6. रिचा
7. सोमाबाई पत्नि श्रीलाल — राजस्थान ————————वादीगण

बनाम

1. रामलाल पुत्र चिम्मन — जाति मीना निवासी झारेडा तहसील हिण्डौन
2. गीता पत्नि रामलाल
3. मौनू पुत्र रामलाल — जिला करौली राजस्थान
4. दिनेश पुत्र रामलाल ———————————— प्रतिवादीगण

दावा बाबत स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थित :—1.श्री अशोक नीमनका एडवोकेट वादीगण

2. श्री मुरारी लाल करसौलिया एडवोकेट प्रतिवादीगण

निर्णय दिनांक :—09.04.2026

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वकील वादीगण ने दावा बाबत स्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध प्रतिवादीगण पेश कर वाद पत्र के मद नं0 1 में दर्ज किया है कि आराजी खसरा 3247 रकवा 0.45 है0, 3248 रकवा 0.43 है0

स्थित ग्राम कटकड तहसील हिण्डौन में स्थित है जिस पर वादीगण अपने–अपने हिस्से अनुसार काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है, जिससे प्रतिवादीगण का कोई सम्बन्ध किसी प्रकार का नही है। लेकिन प्रतिवादीगण वादीगण की खातेदारी व कब्जेकाश्त की आराजीयात पर जबरन कब्जा करने की फिराक में है।

वाद पत्र के मद नं0 2 में दर्ज किया है कि बांका दिनांक 27.08.2022 को वादीगण अपने हिस्से की आराजीयात में बोई हुई फसल की देखभाल करने के लिये गये थे तो प्रतिवादीगण हाथो में लाठी, डण्डा, लेकर उक्त आराजीयात पर आ धमके और आते ही वादीगण से कहने लगे हम तुम्हें इस जमीन पर काश्त नहीं करने देंगें, तो वादीगण ने कहा कि भाईयो यह जमीन तो हमारी है और हम इस जमीन में 50 सो साल से बजमाने बुजुर्गान काश्त करते चले आ रहे है, तथा उक्त जमीन हमें हमारे पूर्वजो से विरासत में प्राप्त हुई है, जिसे हम साल–दर–साल, फसल–दर–फसल काश्त करते चले आ रहे है। तो प्रतिवादीगण एकदम से नाराज हो गये और वादीगण को स्पष्ट ऐलानियां धमकी कि अब हम इस जमीन पर जबरन लठ्ठ व ताकत के बल पर कब्जा कर पक्का निर्माण कार्य करेंगें। और तुम्हें डण्डे के बल पर बेदखल करके ही रहेंगें वादीगण ने प्रतिवादीगण को समझाने का भरसक प्रयास किया मगर वे किसी की एक मानने को तैयार नहीं है, इस प्रकार प्रतिवादीगण अपने मंसूबो में कामयाब हो गये तो वादीगण को अपूर्तणीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी भी द्रव्य से किया जाना संभव नहीं हो सकेगा। इसलिये वादीगण वखिलाफ प्रतिवादीगण दावा बाबत स्थाई निषेधाज्ञा पेश करना लाजिमी हुआ है।

वाद पत्र के मद नं0 3 में दर्ज किया है कि विनाय दावा तारीखी 27.08.2022 को प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के हिस्से की जमीन में जबरन निर्माण करने, एवं बेदखल करने की धमकी देने व विवादग्रस्त आराजी गाँव कटकड तहसील हिण्डौनसिटी में स्थित होने के कारण विनाय दावा पैदा हुई है।

वाद पत्र के मद नं0 4 में दर्ज किया है कि विनाय मुखास्मत, सकूनत फरीकेन् की दृष्टि से व विवादग्रस्त आराजी गॉव कटकड, तहसील हिण्डौनसिटी

में स्थित होने के कारण श्रीमानजी को उक्त वादपत्र की सुनवाई का अधिकार श्रीमान न्यायालय हाजा को प्राप्त है।

वाद पत्र के मद नं0 5 में दर्ज किया है कि दावा हाजा अन्दर म्याद पेश है।

वाद पत्र के मद नं0 7 (अ) में दर्ज किया है कि दावा वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण डिक्री फरमाया जाकर इस प्रकार पाबंद फरमाया जावे कि वे आराजी खसरा 3247 रकवा 45 ऐयर, 3248 रकवा 43 ऐयर स्थित ग्राम कटकड तहसील हिण्डौन से वादीगण को बेदखल कर स्वयं कब्जा नहीं करे। वादीगण के हिस्से में कोई निर्माण कार्य ना तो स्वंय करे, ना ही किसी अन्य से करावे। ऐसा कोई कार्य ना तो स्वयं करे और ना ही किसी अन्य से करावे जिससे वादीगण के हक–हकूको पर प्रतिकूल प्रभाव पडे रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति बनाऐ रखे।

वाद पत्र के मद नं0 7 (ब) में दर्ज किया है कि अन्य दीगर दादरसी जो करीने इंसाफ वहक वादीगण बखिलाफ प्रतिवादीगण वह भी अता फरमाई जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। दिनांक 31.01.2025 को प्रतिवादीगण को बार–बार आवाज दिलाने के उपरान्त भी उपस्थित नहीं हुए इसलिए इनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही करने के आदेश दिये गये।

वकील वादीगण ने दस्तावेजी सबूत में नकल जमाबन्दी सं0 2071–74 पेश की है।

वकील वादीगण उपस्थित। वकील वादीगण की एकपक्षीय बहस सुनी गई। जिस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। वकील वादीगण की ओर से प्रस्तुत नकल जमाबन्दी सं. 2071–74 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 3247 रकबा 0.45 है0, 3248 रकबा 0.43 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.88 है0 वाके ग्राम कटकड तहसील हिण्डौन की

खातेदारी कल्पना पुत्री श्रीलाल हि0 5/427, ममता पुत्री श्रीलाल हि0 5/427, रविशंकर पुत्र श्रीलाल हि0 5/427, रिचा पुत्री श्रीलाल हि0 5/427, विनीता पुत्री श्रीलाल हि0 5/427, विनोद पुत्र श्रीलाल हि0 5/427, सोमवाई पत्नि श्रीलाल हि0 5/427 जाति मीना सा0देह खातेदार दर्ज रिकार्ड है तथा शेष के अन्य व्यक्ति मुताविक राजस्व रिकार्ड दर्ज रिकार्ड हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 3247 रकबा 0.45 है0, 3248 रकबा 0.43 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.88 है0 वाके ग्राम कटकड तहसील हिण्डौन में वादीगण कल्पना पुत्री श्रीलाल हि0 5/427, ममता पुत्री श्रीलाल हि0 5/427, रविशंकर पुत्र श्रीलाल हि0 5/427, रिचा पुत्री श्रीलाल हि0 5/427, विनीता पुत्री श्रीलाल हि0 5/427, विनोद पुत्र श्रीलाल हि0 5/427, सोमवाई पत्नि श्रीलाल हि0 5/427 जाति मीना सा0देह खातेदार दर्ज रिकार्ड है तथा शेष के अन्य व्यक्ति मुताविक राजस्व रिकार्ड दर्ज रिकार्ड हैं। उक्त विवादित आराजीयात से प्रतिवादीगण का कोई सम्बन्ध व सरोकार किसी प्रकार का होना साबित नहीं होता है। इसलिए प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने से उन्हें कोई क्षति किसी प्रकार की होना प्रतीत नहीं होता है। बल्कि प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञाा से पाबन्द नहीं किये जाने पर वादीगण के हक, हकूकों पर विपरीत प्रभाव पडने की पूर्ण सम्भावना प्रतीत होती है। ऐसे हालात में वादीगण का दावा बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा खिलाफ प्रतिवादीगण डिक्री योग्य न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः दावा वादीगण खिलाफ प्रतिवादी बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा डिक्री किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 3247 रकबा 0.45 है0, 3248 रकबा 0.43 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.88 है0 वाके ग्राम कटकड तहसील हिण्डौन में वादीगण के हिस्से से वादीगण को बेदखल कर स्वयं कब्जा नहीं करे। वादीगण के हिस्से में कोई निर्माण कार्य ना तो स्वंय करे, ना ही किसी अन्य से करावे। ऐसा कोई कार्य ना तो स्वयं करे और ना ही किसी अन्य से करावे जिससे वादीगण के हक–हकूको पर प्रतिकूल प्रभाव पडे। रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति बनाऐ रखे।

उपरोक्तानुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैंसल सुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 09.04.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हेमराज गुर्जर) 9/4/26
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला करौली